भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 526

01 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

वित्तीय सहायता

526. श्री जुएल ओराम:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने छात्रों को व्यावसायिक अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कोई योजना प्रोत्साहित की है और यदि हां, तो उन छात्रों के लिए विनिर्धारित पात्रता मानदंड का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या इस्पात संयंत्रों की परिधि में रह रहे छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए चयन में प्राथमिकता दी जाएगी और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) और (ख): निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम के अंतर्गत, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में विभिन्न व्यवसायों जैसे कि फिटर, इलेक्ट्रिशन, मशीनिस्ट, टर्नर इत्यादि में प्रशिक्षण के लिए सेल संयंत्रों तथा खदानों की परिधि में रह रहे युवकों को प्रायोजित करता है।

इन आईटीआई प्रशिक्षणों के लिए पात्रता मानदंड मैट्रिकुलेशन और माता-पिता की वित्तीय स्थिति है। इस्पात संयंत्रों तथा खदानों की परिधि में रह रहे जरुरतमंद मैट्रिक पास छात्रों को उनके आईटीआई प्रशिक्षण के प्रायोजन हेतु चयन के क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है।

****